मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय : जहाँगीराबाद, भोपाल-462008 (म. प्र.)
फोन: 0755-2678482, 2678419
ई-मेल : mpscmf@gmail.com,mp.markfed@mp.gov.in
वेबसाईट : www.mpmarkfed.mp.gov.in

विपणन संघ

The Madhya Pradesh State Co-Operative Marketing Federation Limited,
Head Office : Jahangirabad, Bhopal-462008 (M.P.)
Phone : 0755-2678482, 2678419
Email : mpscmf@gmail.com,mp.markfed@mp.gov.in
Website : www.mpmarkfed.mp.gov.in

GSTIN : 23AABAT4628H1ZM
ISO 9001 : 2015
PAN No. AABAT4628H

क्रमांक/बैठक/व्या.सम्मे./3458 /2024

भोपाल,दिनांक 11-09-2024

54 वें वार्षिक व्यापक सम्मेलन की सूचना

विपणन संघ के समस्त सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के सदस्यों का 54 वाँ वार्षिक व्यापक सम्मेलन दिनांक 26.09.2024, दिन-गुरूवार को अपरान्ह 03:00 बजे से स्थान-अपेक्स बैंक समन्वय भवन, पंचम तल, टी.टी.नगर भोपाल में आयोजित किया जावेगा। सम्मेलन में प्रस्तुत किये जाने वाले विषयों की सूची निम्नानुसार है:-

1- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 का अवलोकन। ।
2- संघ के 53वें वार्षिक व्यापक सम्मेलन दिनांक 27 सितम्बर 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।
3- वर्ष 2023-24 में व्यवसायिक कार्यक्रम के लक्ष्य पूर्ति एवं वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित व्यवसायिक कार्यक्रम का अनुमोदन।
4- वर्ष 2023-24 का संशोधित व्यय बजट एवं वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित आयगत एवं पूंजीगत बजट का अनुमोदन।
5- वर्ष 2022-23 के संपरीक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन एवं वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।
6- उप नियम क्रमांक-25(झ) के तहत् ऋण तथा अमानतें प्राप्त करने की सीमा के पुनर्निर्धारण बाबत्।
7- संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके कुटुम्ब के सदस्यों तथा नातेदारों पर संघ की बकाया अग्रिम राशि का अवलोकन (धारा 49(7) का परिपालन)।
8- वर्ष 2023-24 के शुद्ध लाभ में से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रावधान बावत्।
9- संघ के वैधानिक अंकेक्षण अंकेक्षक की नियुक्ति वर्ष 2023-24 का अवलोकन एवं वर्ष 2024-25 की नियुक्ति के अनुमोदन बावत्।
10- विपणन संघ द्वारा खाद्य विभाग की ओर से किए जा रहे खाद्यान्न उपार्जन कार्यों में सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा संघ की राशियों का समय पर भुगतान न किए जाने के कारण उत्पन्न वित्तीय स्थिति आमसभा के अवलोकनार्थ।
11- अन्य विषय यदि कोई हो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

संघ के उपनियम क्रमांक-20 के प्रावधान अनुसार सम्मेलन की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी, यदि उक्त तिथि को निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो सम्मेलन उक्त नियम के अंतर्गत आधे घण्टे के लिए स्थगित किया जावेगा और साधारण सभा की बैठक आधे घण्टे बाद अपरान्ह 03.30 बजे प्रारम्भ होगी।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उक्त वार्षिक सम्मेलन की बैठक में भाग लेने हेतु आपकी उपस्थिति निवेदित है।

कृपया अधिकृत प्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र साथ लेकर आवे।

Alok 11/3/2024

(आलोक कुमार सिंह)
प्रबंध संचालक

नोटः-

1- मुद्रित पुस्तिका में कोई त्रुटि रहने की दशा में कार्यालयीन प्रति वैध मानी जावेगी।
2- विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित होने पर सम्मेलन के दिनांक से तीन दिन पूर्व संघ मुख्यालय को सूचना दिया जाना वांछनीय है।
3- 54वें वार्षिक व्यापक सम्मेलन की सूचना के संबंध में जानकारी संघ के वेबसाइट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।